।। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर ।।

पीठासीन अधिकारी – श्री प्यारे लाल सोठवाल, आर०ए०एस०

कैम्प – ग्राम पंचायत केसरपुर

राजस्व अपील सं० 5/20/2020 तारीख रज्जू 16.07.2012

01– धनपाल पुत्र श्री चिरंजीलाल उम्र 45 साल

02– बाबूलाल पुत्र श्री चिरंजीलाल उम्र 38 साल जाति मीणा, निवासीयान ग्राम भूगोर बाईपास के पास, रूपबास तहसील व जिला अलवर

–अपीलाण्ट

बनाम

01– ग्राम पंचायत केसरपुर, पंचायत समिति उमरैण (अलवर) जर्ये सरपंच

02– नरेन्द्र मीणा पुत्र श्री रामजीलाल मीणा, निवासी नयाबास, अलवर तहसील व जिला अलवर

03– नटराज मीणा पुत्र श्री खेमराज मीणा, जाति मीणा, निवासी ग्राम ईटोली तहसील लक्ष्मणगढ –रेस्पोडेण्टान

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध इंतकाल संख्या 428 दिनांक 05.06.2012 ग्राम पंचायत केसरपुर पंचायत समिति उमरैण तहसील व जिला अलवर

–: निर्णय :– दिनांक: 22.11.2021

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि यह अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध इंतकाल संख्या 428 दिनांक 05.06.2012 ग्राम पंचायत केसरपुर पंचायत समिति उमरैण तहसील व जिला अलवर के विरूद्ध पेश की गई है।

ग्राम पंचायत केसरपुर पंचायत समिति उमरैण तहसील व जिला अलवर द्वारा इंतकाल संख्या 428 दिनांक 05.06.2012 बालाबाला स्वीकार किया गया है। दिनांक 10.07.2012 को रेस्पोडेन्टान ने कब्जा करने की नियत से आऐ ओर ऐलानिया धमकी दी की हाल आराजी खसरा नम्बर 56 रकबा 0.43 है०, 57 रकबा 0.59 है०, 60 रकबा 0.59 है०, 61 रकबा 0.43 है० कुल किता 4 रकबा 2.04 है० एवं खसरा नम्बर 53

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)

रकबा 0.78 है०, 54 रकबा 0.04 है, 55 रकबा 0.80 है०, कुल किता 3 रकबा 1.62 है० वाके ग्राम केसरपुर तहसील व जिला अलवर हमने चन्द्रकला बेवा फूलचन्द जाति मीणा से खरीद की है एवं खरीद का इंतकाल भी हमारे नाम दर्ज हो चुका है जिसके समस्त कागजात हमारे पास है। उपरोक्त आराजी पर हम जबरन कब्जा करके रहेगें। जिस पर अपीलान्ट ने इंतकाल की नकल हेतु आवेदन किया, नकल प्राप्त की एवं वकील साहब से कानूनी सलाह ली गई। इससे पूर्व अपीलाण्ट को इसकी जानकारी नही थी। इसलिए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया है। जानकारी के अभाव में जो समय व्यतीत हुआ है माफ किये जाने योग्य है। इंतकाल की नकल प्राप्त करने पर मिन अपीलाण्ट को मालूम हुआ की इंतकाल संख्या 428 दिनांक 05.06.2012 रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के नाम दर्ज कर स्वीकृत किया जा चुका है। उपरोक्त आराजी पर रेस्पोडेन्टान का ना तो कभी कब्जा रहा ना ही कोई लेना देना है। चन्द्रकला बेवा फूलचन्द का कभी कब्जा नही रहा। ग्राम पंचायत ने मौके का अवलोकन नही किया ओर ना ही इंतकाल स्वीकृत करने मे किसी कोरम की पूर्ति की गई। इंतकाल के पृष्ठ पर भी कोरम में उपस्थित किसी भी सदस्य के हस्ताक्षर नही है। रेस्पोडेन्टान ने पटवारी हल्का एवं सरपंच ग्राम पंचायत केसरपुर से साजबाज होकर उक्त इंतकाल स्वीकृत करा लिया जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को तलब नही किया ना ही मौके पर जाकर कब्जे की जांच की, अपीलाण्ट को बिना सुने एकतरफा रूप से इंतकाल स्वीकृत किया है जो प्राकृतिक न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्त की अवहेलना कर निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर इंतकाल संख्या 428 दिनांक 05.06.2012 अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की गई। प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया गया। रेस्पोडेण्टान को जर्ये नोटिस से तलब किया गया। सरपंच, ग्राम पंचायत केसरपुर को अपील की नकल दी गई एवं आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये गये।

पत्रावली प्रशासन गॉवों के संग अभियान–2021 कैम्प ग्राम पंचायत केसरपुर में पेश हुई। पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया। अपीलाण्ट ने अपनी अपील के समर्थन में कोई दस्तावेज पेश नही किये है। पत्रावली पर उपलब्ध इंतकाल संख्या 428 दिनांक 05.06.2012 की प्रमाणित प्रति पर मनन करने पर हम इस निष्कर्ष पर

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)

पहुँचे है कि अपील अपीलाण्ट साक्ष्य व सबूत के अभाव में स्वीकार किये जाने योग्य नही है।

अतः अपील अपीलाण्ट साक्ष्य व सबूत के अभाव में खारिज की जाती है। निर्णय आज दिनांक 22.11.2021 को लिखाया जाकर कैम्प ग्राम पंचायत केसरपुर में मजमेआम सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(प्यारे लाल सोठवाल)
उप खण्ड अधिकारी
अलवर

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)